न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला– गंगापुर सिटी)

मु.नं. : 22/2023	तारीख रजू 20.12.2023	निर्णय दिनांक 27.12.2023

सरकार बनाम गोपाल

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का हिगोंटिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि गोपाल पुत्र बुध्या जाति माली निवासी उघाडमल वालाजी, गंगापुर सिटी ने खसरा नं. 263 रकवा 800 वर्गफीट किस्म मंदिर माफी वाकें ग्राम सलारपुर पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से अवैध अतिक्रमण कर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसालय द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाव इस आशय पेश किया कि उसका किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा वह स्वयं खातेदारी भूमि पर ही काबिज है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमावंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा किसी भी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने से इन्कार किया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभयपक्षकारान को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/– की 50 गुना शास्ति 50/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवाकर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27-12-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/12/2023
(सीमा घुणावत)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....
पर रुपये 50/– की कायमी वर्ष
2023–24 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार